



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102025-267132
CG-DL-E-25102025-267132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4682]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947

No. 4682]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4821(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.४७९४(अ) तारीख. ०५ नवम्बर २०२४ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-६१ के कि.मी. ४६३/२६५ से कि.मी. ४८१/१८० (कि.मी. १९/२२० से कि.मी. ३४/४३४) पारवा से आसोला (परभणी बायपास) (लम्बाई -१५.२१४ कि.मी.) तक के भूखंड में निर्माण (चौड़ाकरणे दो लेन पेव्ड शोल्डर /चार लेन का बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३) के अधीन “२१ दिसंबर २०२४” तारीख को “दैनिक गोदातीर समाचार” और “दैनिक पालमवृत्त” में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६१ के कि.मी. ४६३/२६५ से कि.मी. ४८१/१८० (कि.मी. १९/२२० से कि.मी. ३४/४३४) पारवा से आसोला (परभणी बायपास) (लम्बाई - १५.२१४ कि.मी.) खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: परभणी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: परभणी					
गांव का नाम: पारवा					
1	१४७	निजी	कृषि	0.0311	भारतीय जनता पार्टी करता अधिकृत श्री. लक्ष्मण वासुदेव सावजी 147
Total				0.0311	

[फा. सं. NH-12014/78/2021-22/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2025

S.O. 4821(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O.4794(E) dated 5th November 2024**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building (widening/ two lane with paved shoulder/four lane etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. NH 61 in the stretch of land Km 463/265 to km 481/180 (Design Ch.19+220 to Ch.34+434) (Length-15.214 Km) of New Four Lane Bypass to Parbhani City (Parwa to Asola) in the District of Parbhani in the state of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O. 4794(E) dated 5th November 2024** has been published in “**Dainik Godatir samachar**” and “**Dainik Palamrhut**” Both Dated “**21 December 2024**”; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections filed under section 3-C, Considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling NH 61 within the stretch of land from Construction of new four Bypass to Parbhani City (Parwa to Asola) Km.463/265 to Km.481/180 (Design Ch.19+220 to Ch.34+434) (Length-15.214 Km) in the district Parbhani in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: PARBHANI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Parbhani					
Village: Parawa					
1	147	Private	Agricultural	0.0311	Shri. Lakshman Vasudev Savji For Bhartiya Janta Party 147
Total				0.0311	

[F. No. NH-12014/78/2021-22/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director